

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.- 233 / 15
संस्थित दिनांक- 04.09.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. वीरन पुत्र फेरन सिंह यादव उम्र 56 साल
 2. जगदीश पुत्र वीरन सिंह यादव उम्र 27 साल
 3. कल्लू पुत्र वीरन सिंह यादव उम्र 24 साल
 4. धर्मेन्द्र पुत्र वीरन सिंह यादव उम्र 23 साल
- निवासीगण ग्राम बेसरा जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324, 324 / 34 तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक—17.07.2015 को करीब—11:30 बजे ग्राम बेसरा में आम रोड पर फरियादी अमरसिंह यादव की मारपीट करने के सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त जगदीश ने हसिया व अभियुक्त कल्लू ने लोहे की छड़ से फरियादी अमरसिंह के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—17.07.2015 को समय 11 बजे दिन में फरियादी अमर सिंह ने वीरन से कहा था कि पुरानी बाखर की जगह पर वीरन के मशीन व पंखे रखे थे, जिसे फरियादी ने हटाने ने कहा तो इसी बात पर फरियादी से कल्लू, धर्मेन्द्र, जगदीश और वीरन चेट गये, जगदीश ने हसिया की मारी जिससे हाथ की अंगूली व कलायी पर लगा। कल्लू ने लोहे की छड़ की मारी जो दाहिने हाथ की भुजा में मारी, नील पड़ गया है। घटना के समय कल्ला, बुंदेलसिंह, कल्लू व शिशपाल थे। फरियादी अमर सिंह ने घटना दिनांक को ही पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक क्रमांक—59 / 15 अंतर्गत धारा—323 भा0द0वि0 के तहत लेखबद्ध की गई फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी अमरसिंह को धारदार वस्तु से उपहति पाये जाने पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक—283 / 15 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा—324, 323, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—13.06.2017 को फरियादी अमरसिंह के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये। परन्तु अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की धारा 324, 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने के कारण प्रस्तुत आवेदनों को निरस्त कर उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण का विचारण जारी रहा।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निदोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने 17.07.2015 को करीब—11:30 बजे ग्राम बेसरा में आम रोड पर फरियादी अमरसिंह यादव की मारपीट करने के सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी जगदीश ने हसिया व आरोपी कल्लू ने लोहे की छड से फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

- 07— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य को देखते हुये फरियादी अमरसिंह (अ0सा0—1) व विजयपाल (अ0सा0—2) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी अमरसिंह (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना वर्ष 2015 की है। अभियुक्त वीरन ने उसकी बाखर में मशीन रख ली थी। घटना दिनांक को दिन में 12—01 बजे जब उसने वीरन से उसका सामान बाखर से हटाने को कहा तो आरोपीगण ने उसके साथ गाली—गलौच की थी, जिससे उन लोगों का मुंहवाद हो गया था।
- 08— फरियादी अमर सिंह (अ0सा0—1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन की घटना दिनांक को बाखर में से सामान हटाने को लेकर अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ विवाद किया था, को बचाव पक्ष की ओर इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी है और न ही बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा में सुझाव के माध्यम से घटना दिनांक को फरियादी अमर सिंह का बाखर खाली कराने पर से अभियुक्तगण से विवाद होने की घटना का खण्डन किया गया। घटना दिनांक को बाखर में मशीन हटाने पर से अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ विवाद किया था इस बात की पुष्टि प्रकरण में लेखबद्ध करायी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 से भी होती है जिस पर फरियादी ने अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

- 09— अतः फरियादी अमरसिंह (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त अखण्डित कथनों से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को दोपहर लगभग 12-01 बजे फरियादी के द्वारा बाखर से वीरन से मशीन हटाने का कहने पर आरोपीगण द्वारा फरियादी अमर सिंह (अ0सा0-1) के साथ विवाद किया गया। फरियादी अमरसिंह (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण से घटना दिनांक को विवाद होने की पुष्टि तो की है, परन्तु फरियादी अमरसिंह (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विरुद्ध यह कहना है कि घटना में केवल गाली-गलौच और मुंहवाद हुआ था तथा घटना में कोई मारपीट नहीं हुयी और न ही उसे कोई चोटें आयी।
- 11— फरियादी अमरसिंह (अ0सा0-1) के द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में मारपीट की घटना से ही इन्कार किया गया है तथा घटना में स्वयं को कोई चोट न आना बताया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 में लेखबद्ध करायी गयी घटना फरियादी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों के विपरीत है जिससे फरियादी के उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 से नहीं होती है। मारपीट की घटना के संबंध में एवं स्वयं को घटना में आयी चोटों के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फरियादी अमर सिंह (अ0सा0-1) को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया परन्तु इस साक्षी ने अपने परीक्षण में अभियोजन का उपरोक्त घटना के संबंध में लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है अभियुक्त जगदीश ने उसके दाहिने हाथ अंगूली व कलायी में हसियें से उपहति कारित की थी तथा इस बात का भी खण्डन किया है कि अभियुक्त कल्लू ने उसे लोहे की सरिये से दाहिने हाथ की भुजा में उपहति कारित की थी।
- 12— फरियादी अमरसिंह (अ0सा0-1) ने अपने कथनों में व्यक्त किया है उसने जगदीश द्वारा हसिया मारने एवं कल्लू द्वारा लोहे की सरिये से उसे उपहति कारित करने की घटना न तो पुलिस रिपोर्ट प्रपी 1 में लेख करायी और न ही इस संबंध में पुलिस को प्रपी 3 का कोई कथन दिया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा दिये गये सुझाव पर सहमति दी थी, अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही घटना में उसे चोटें आयी। अतः भले ही घटना दिनांक को अमरसिंह (अ0सा0-1) के दाहिने हाथ अंगूली व कलायी में व दाहिने हाथ भुजा में चिकित्सीय परीक्षण में उपहति पायी गयी है, परन्तु फरियादी अमरसिंह (अ0सा0-1) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त उपहति अभियुक्तगण में से किसी ने या सभी ने सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित की थी।
- 13— फरियादी अमरसिंह (अ0सा0-1) ने इस बात का खण्डन किया है कि घटना कस्बा, बुंदेल सिंह और विजयपाल ने देखी थी। अभियोजन की ओर से घटना के स्वतंत्र साक्षी के रूप में विजयपाल (अ0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं परन्तु विजयपाल (अ0सा0-2) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है। इस साक्षी का कहना है कि उसके सामने न तो कोई घटना हुयी है और न ही उसने पुलिस को कोई बयान दिया है। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु इस साक्षी ने भी अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये।

- 14— फलस्वरूप अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को वीरन से बाखर में से मशीन हटाने पर से कहने पर से अभियुक्तगण ने फरियादी से विवाद किया था परन्तु अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन घटना के समर्थन में कथन न देने से साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 17.07.2015 को करीब—11:30 बजे ग्राम बेसरा में आम रोड पर फरियादी अमरसिंह यादव की मारपीट करने के सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी जगदीश ने हसिया व आरोपी कल्लू ने लोहे की छड़ से फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 11— फलस्वरूप उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण वीरन पुत्र फेरन सिंह यादव, जगदीश पुत्र वीरन सिंह यादव, कल्लू पुत्र वीरन सिंह यादव, धर्मेन्द्र पुत्र वीरन सिंह यादव के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-324, 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तगण वीरन पुत्र फेरन सिंह यादव, जगदीश पुत्र वीरन सिंह यादव, कल्लू पुत्र वीरन सिंह यादव, धर्मेन्द्र पुत्र वीरन सिंह यादव को भा0दं0वि0 की धारा-324, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 12— अभियुक्तगण वीरन पुत्र फेरन सिंह यादव, जगदीश पुत्र वीरन सिंह यादव, कल्लू पुत्र वीरन सिंह यादव, धर्मेन्द्र पुत्र वीरन सिंह यादव के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)